कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश)

क्रमांक / 898 / आरडीएम / 2018 टीकमगढ़ दिनांक 04.09.2018

:: आदेश ::

पुलिस अधीक्षक,जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक / 1064 / पु0अ / जि0वि0शा0 / टीकम0 / गो0 / 18 / दिनांक 04.09.2018 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिले में सोशल मीडिया पर आ रहे संदेशो एवं कतिपय संगठनों के दिनांक 06 सितम्बर 2018 के कथित भारत बंद कराने की कोशिशों के कारण कभी भी शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका निर्मित हो गई है, जिससे मुझे यह समाधान हो गया है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं जिला मजिस्ट्रेट टीकमगढ़ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक निशेधाज्ञा जारी करता हूँ। चूंकि ऐसी तात्कालिक परिस्थितियां निर्मित हुई है कि सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अतः द.प्र.सं.1973 धारा 144 (2) के तहत् निशेधाज्ञा का आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है:-

1. टीकमगढ़ जिले के सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत किसी भी तरह के जूलूस, रैली,प्रदर्शन,धरना,इत्यादि बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा। जूलूस/ रैली के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र, शस्त्र घातक हथियार, लाठी डंडा व विष्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी, किसी भी प्रकार का शस्त्र जूलूस नहीं निकाला जा सकेगा, ना ही आपत्ति जनक नारे लगाये जायेगें, और ना ही आपत्ति जनक पोस्टर, पम्पलेट वितरित या प्रदर्शित किये जायेंगें।
2. जिले में जितने भी शस्त्र लाईसेंसधारी व्यक्ति हैं वह अपने शस्त्रों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन नहीं करेंगे एवं अपने साथ शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे।
3. टीकमगढ़ जिले की सम्पूर्ण सीमा के अंतर्गत आम सड़क, सार्वजनिक स्थल एवं बाजार शासकीय कार्यालयों के बाहर भीड़ एकत्रित करना, नारे बाजी करना, बिना अनुमति रैली निकालना प्रतिबंधित रहेगा।
4. टीकमगढ़ जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेजित करने वाली फोटो चित्र Message, करने पर, साम्प्रदायिक Message उनकी Forwarding, Twitter,Facebook, Whatsapp इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक Message आदि करने से Post पर, Comment करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है।
5. यह आदेश धारा 144 (2) द.प्र.सं.1973 के अन्तर्गत समयाभाव के कारण एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय होगा।
6. आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अतयन्त विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्त से छूट दे सकेगा।
7. यह प्रतिबंधात्मक आदेश उन माननीय न्यायाधीशगणों शासकीय अधिकारियों / कर्मचारियों / शासकीय अभिभावकों एवं शासकीय कर्तव्य में लगाये गये सुरक्षा बलों / पुलिस कर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

4/9/2018

उक्त निषेधाज्ञा अधोहस्ताक्षरकर्ता अभीजीत अग्रवाल, जिला मजिस्ट्रेट, जिला टीकमगढ़ की हैसियत से मुझे प्रदत्त प्राधिकार एवं शक्तियों के अन्तर्गत मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्र से आज दिनांक 04 सितम्बर, 2018 को जारी किया जा रहा है तथा यह आदेश सम्पूर्ण जिला टीकमगढ़ सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त नगरों, कस्बों एवं ग्रामों में दिनांक 05 सितम्बर,2018 से दिनांक 06 सितम्बर,2018 को रात्रि 12:00 बजे तक लागू रहेगा।

4/9/2018

(अभिजीत अग्रवाल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक/898/आरडीएम/2018 टीकमगढ़ दिनॉक 04.09.2018

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह सी अनुभाग विभाग भोपाल।
2. जिला एवं सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़।
3. आयुक्त सागर, संभाग सागर म0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, सागर।
5. उप पुलिस महानिरीक्षक छतरपुर।
6. पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अति0 पुलिस अधीक्षक, टीकमगढ़ संबंधित थानों को कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु अग्रेषित।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त """""""""" जिला टीकमगढ़ म0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से करायें एवं तत्काल लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार प्रसार करावें।
9. कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसीलदार/अति तहसीलदार/नायब तहसीलदार समस्त """""""""" की ओर पालनार्थ।
10. थाना प्रभारी, थाना समस्त """""""""" जिला टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. सहायक संचालक जन संपर्क टीकमगढ़ की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अग्रेषित
12. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम टीकमगढ़।
13. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट टीकमगढ़ की ओर उक्त आदेश जिला प्रशासन की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. स्टेनो–टू–कलेक्टर टीकमगढ़।
15. आदेश पत्रावली।

4/9/2018

(अभिजीत अग्रवाल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)